



राष्ट्रीय जंबलजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH IN TRIBAL HEALTH
 (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वा. एवं पर्याय कल्यान मंत्रालय)
 (Indian Council of Medical Research) (Deptt. Of Health Research, Min. of Health & F.W.)
 नांगामुर चैक, एक्सो. गढ़, जबलपुर - 482003 (मध्यप्र.)
 Nagpur Road, P.O. - Garha, Jabalpur - 482003 (M.P.)

आकस्मिक अग्रिम/पेट्रोल तेल स्नेह (पीओएल) अग्रिम हेतु आवेदन

(सेन्टर/प्रोजेक्ट का नाम -)

1. अधिकारी का नाम एवं पदनाम :
 2. वेतन (मूल)
 3. दिनांक से दिनांक तक का दौरा तथा वापसी का कार्यक्रम जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है/अनुमोदित किया जा रहा है, इसके लिए रूपये की राशि, जिसका विवरण नीचे दिया है, आकस्मिक अग्रिम/पेट्रोल तेल स्नेह (पीओएल) अग्रिम के रूप स्पीफूट करने की कृपा करें।
- स्थान के दौरे के दौरान दिनांक से दिनांक तक की अवधि के लिए व्यय का अनुमान से पेट्रोल तेल स्नेह (पीओएल) किंवदि राशि
- (क) दौरे के दौरान तय की जाने वाली दूरी को दर्शाना है।
 - (ख) (आकस्मिक व्यय) वाहन की मरम्मत सहित (प्रतिदिन की दर से)
 - (ग) प्रयोगशाला का किराया, बिजली के बिल आदि (प्रयोगशाला एवं जेनेरेटर के लिए अधिकतम रूपये 500/- तक सीमित है।)
 - (घ) यह प्रमाणित किया जाता है कि रूपये के अपने पिछले अग्रिम जिसका मुग्गतान युद्ध दिनांक को किया गया था, उसका समायोजन मैंने लेखा / भांडार अनुभाग में प्रस्तुत कर दिया है।
 - (ङ.) मैं दौरे की समाप्ति पर तुरंत इस वर्तमान अग्रिम का समायोजन लेखा प्रस्तुत करने तथा व्यय न हुई शेष राशि जमा करने का वचन देता हूँ।
 - (च) मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि यह दौरा निरस्त होता है तो इस अग्रिम की पूरी राशि तुरंत लौटा देंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

रु.
के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमाण प्रमुख

टिप्पणी:-

(2)

1. वारस्तविक क्षय के लिए अग्रिम के लेखे का समायोजन दौरे के वापिसी के दस दिनों के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए प्रधान अन्वेषक उत्तरदायी होगा।
 2. सरकारी खर्च का आवास की अनुमति केवल प्रयोगशाला के उपकरणों को स्थापित करने के लिए है न कि व्यक्तिगत आवास के लिए इसके लिए प्रधान अन्वेषक द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
 3. इस प्रकार के आवास का किराया जहाँ तक संभव हो, जिला राजस्व प्राधिकारियों के द्वारा अनुमोदित किया हुआ होना चाहिए।
 4. बिजली के देयक का मुगतान केवल प्रयोगशाला के कार्य के लिए देय होना न कि व्यक्तिगत निवास के आवास के लिए तथा इसके लिए प्रधान अन्वेषक द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
 5. प्रधान अन्वेषक द्वारा प्रमाणित किए जाने पर प्रयोगशाला अन्वेषक कार्य के लिए विद्युत जनित्र (जनरेटर) चलाने/स्टोव जलाने के लिए मिट्टी तेल का देयक ग्राह्य होगा। विद्युत जनित्र चलाने के लिए तारीख और घंटों के साथ विवरण कार्य-पंजी (लॉग-बुक) का रख-रखाव किया जाएगा।
 6. बिजली और मिट्टी के तेल, प्रत्येक के देयक प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
 7. अग्रिम का समायोजन दवाईयों, फिल्मों, लेखन-सामग्री, कॉच के सामान और अन्य उपभोज्य/अनुपभोज्य सामग्री के लिए नहीं किया जा सकता है, जिसकी खरीद केन्द्रीय मंडर गृह के माध्यम से समय से पहले योजना बनाकर की जानी चाहिए।
 - केवल अत्यंत आवश्यक अपवाद पूर्ण रिक्तियों को छोड़कर।
- “लेखा अनुभाग के प्रयोग के लिए”**
- रूपये (रूपये शब्दों में) के लिए पारित। आकस्मिक/अग्रिम/पीठोफला अग्रिम।
- कृपया श्री/ श्रीमती/ डॉ/ कु/ कार्य से संबंधित सहायक लेखा अधिकारी के लिए बीजक संख्या
लेखा अधिकारी
- दिनांक - भुगतान किए गए रूपये रूपये सी.बी. के पने का पुष्ट क्रमांक— रूपये का भुगतान प्राप्त किया।